जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 05.12.2024**

प्रेस नोट

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डोकपुरा में मारपीट, गाली गलौज व धारदार हथियार से हमले के मामले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे का पाईप बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 07.11.2024 को वादी मुस्तकीम पुत्र जीजू निवासी ग्राम बरनाऊ थाना कैराना जनपद शामली ने अपने बडे भाई इमरान व उसके पुत्रगण के द्वारा मारपीट, गाली गलौच व धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया था । जिसके सम्बन्ध में दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था । थाना झिंझाना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी ।

इसी क्रम में आज दिनांक 05.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डोकपुरा में मारपीट, गाली गलौज व धारदार हथियार से हमले के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त लोहे का पाईप सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.उमर पुत्र इमरान निवासी ग्राम बरनाऊ उर्फ बरनावी थाना कैराना जनपद शामली ।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 487/24 धारा 115(2)/352/117(2)/118(2) बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त लोहे का पाईप ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सतीश सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली ।

2.है0का0 अमित कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली ।

3.का0 सुमित कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली ।

4.का0 शान्तनु थाना झिंझुना जनपद शामली

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 05 अलग-अलग मामलों में 11 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 24,100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-</u>

<u>1.-</u>वर्ष 2002 में अभियुक्त लियाकत पुत्र कूपरा तेली निवासी ग्राम हरडफतेहपुर थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 348/02 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.12.2024 को माननीय न्यायालय सीजे(जेडी)जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 3,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>2.</u>-वर्ष 2010 में अभियुक्त सोनू उर्फ मिठ्ठन पुत्र बालकराम निवासी मौहल्ला नन्दू प्रसाद कस्बा व थाना कोतवाली शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 898/10 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.12.2024 को माननीय न्यायालय एसडी/ एसीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>3.-</u>वर्ष 2004 में अभियुक्त शैलेन्द्र पुत्र यशपाल निवासी ग्राम इकलौता थाना दौराला जनपद मेरठ के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 161/04 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.12.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>4.-</u>वर्ष 2003 में अभियुक्त इरशाद उर्फ सादा पुत्र याकूब निवासी मौहल्ला दरबार कला हाल आजाद चौक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 239/03 धारा 294 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.12.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में 100/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

5.-वर्ष 2001 में अभियुक्तगण 1.रामकिशन पुत्र उर्फ अमूरा पुत्र साधू 2.राजा पुत्र साधू 3.जगदीश पुत्र साधू 4.बलदेव पुत्र रामकिशन 5.बाबू पुत्र साधू 6. प्यारा पुत्र साधू 7.तेजपाल उर्फ तेजा पुत्र रामकिशन निवासीगण ग्राम मामौर थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 310/01 धारा 147/148/149/323/427/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.12.2024 को माननीय न्यायालय एसडी/एसीजेएम कैराना शामली द्वारा प्रत्येक अभियुक्त पर 2500-2500/- के अर्थदण्ड, कुल 17,500 रुपये से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।